उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-11/2021/एस-2-117/दस-2021-88क(13)/207टी0सी0-।।
लखनऊ :: दिनाँक: 21 जनवरी, 2021

**<u>कार्यालय-आदेश</u>**

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' के अधिकारी श्रीमती शोभना सिंह, संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके अपने कार्य के साथ-साथ भू-संम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) एवं उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण, लखनऊ के वित्त नियंत्रक/ मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्रीमती सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव

**<u>संख्या-11/2021/एस-2-117(1)/दस-2021, तददिनाँक।</u>**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, भू-संम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) एवं उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण, लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक कोषागार।
7- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
( विद्या कुमार )
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।